न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 रविन्द्र कुमार पुत्र. डुगाराम डांगा जाति चौधरी निवासी सिरोही 2 बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवसी अन्दोर तहसील सिरोही हाल सिरोही		1 कल्पेश पुत्र बाबुलाल 2 निर्मलकुमार पुत्र बाबुलाल 3 बाबुलाल पुत्र केषवलाल जातिगण रावल निवासीगण फलवदी हाल 93, मरीन ड्राईव, आहुरा बिल्डिंग, पहला माला, फ्लेट संख्या 6, मुम्बई–2 4 सत्तार खां पुत्र कालुखां जाति मुसलमान (मौसला) निवासी रामपुरा तहसील व जिला सिरोही

अपींल अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अश्विन परडीया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/2/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2014 बअनवान रविन्द्र कुमार बनाम कल्पेश वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प सिरोही

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिरोही चक I के खसरा नम्बर 207 रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 सड़क की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, किन्तु उक्त भूमि पर कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का

कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि मौके पर सड़क के रूप में उपयोग में ली जा रही है, जिसका अपीलाण्ट सहित आमजन उपयोग उपभोग करते है। इस भूमि के अतिरिक्त खसरा नम्बर 208 व 209/4290 की भूमि भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि थी, जो उनके आम मुख्तियार द्वारा मातुश्री बिल्कोन प्राईवेट लिमिटेड को बेचान की तथा मातुश्री बिल्डकोन से अपीलाण्ट द्वारा क्रय की गईं अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात उसमें स्वीकृत प्लान अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड काटे तथा कुछ भूखण्ड रूपान्तरित करवा कर क्रेताओं को कब्जा भी सुपुर्द किया। उक्त भूमि में आवागमन हेतु एक मात्र मार्ग खसरा नम्बर 207 है, जिसमें रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तारबन्दी कर अवरोध कारित किया, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था, जिस पर नगरपरिषद् सिरोही द्वारा अवरोध हटाया गया। चूंकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खाते में दर्ज है, इस कारण वे अपीलाण्ट का रास्ता अवरूद्ध करने तथा उक्त भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर आमादा है। रेस्पोडेन्ट्स को उक्त कृत्य से रोकने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने के कारण अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया, जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी अवश्य दर्ज है, किन्तु मौके पर सड़क के रूप में उपयोग में ली जा रही है, जिसे बाधित करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र लम्बित था, जिसका निस्तारण किए बिना ही मूल प्रार्थना पत्र का निर्णय किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है, जिसमें दखल अन्दाजी करने का अपीलाण्ट को किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है। उक्त भूमि मौके पर सड़क के रूप में स्थित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ते का अनुतोष चाहा है, जो सन्दर्भित धारा में देय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 207

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

में से अपीलाण्ट के आवागमन सुचारू करने हेतु रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लाने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया, जिस पर पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह जाहिर किया कि खसरा नम्बर 207 व 207/4291 की भूमि सड़क सीमा के भीतर स्थित है, किन्तु मौके अनुसार सड़क नहीं है। सड़क सीमा के भीतर होने के कारण भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किस्म सड़क दर्ज की गई है। खातेदार के विरूद्ध अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना तथा मुआवजा भुगतान के पश्चात ही भूमि सार्वजनिक रास्ता/सड़क दर्ज हो सकती है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। चूंकि प्रकरण का समग्र अवलोकन करने पर यह सुस्पष्ट हो चुका है कि अपीलाण्ट का मुख्य अनुतोष जैर अपील वादस्थ भूमि में तथाकथित रूप से चल रहे रास्ते को सुचारू करवाना है। इस सम्बन्ध में विधि में विस्तृत प्रावधान उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 की आड में रास्ते का अनुतोष प्रदान करते हुए एक खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में संक्रियाओं से अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 83/2014 बअनवान रविन्द्र कुमार बनाम कल्पेश वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही